रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112022-240127 CG-DL-E-09112022-240127

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4955] No. 4955] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/कार्तिक 16, 1944 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2022/KARTIKA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2022

का.आ. 5174(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3627 (अ), तारीख 02 अगस्त 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 के कि.मी. 15.100 से कि.मी. 49.100 (वाराणसी-डगमगपुर खंड) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आश्य की घोषणा की थी:

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "23-08-2022 " को "अमर उजाला " और "दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

7381 GI/2022 (1)

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3(घ) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 के कि.मी. 15.100 से कि.मी. 49.100 (वाराणसी-डगमगपुर खंड) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य व	राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश जिले का नाम: मिर्ज़ापुर						
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम		
1	2	3	4	5	6		
	तालुक का नाम: चुनार						
	गांव का नाम: बिशेषरपुर माफी						
1	418	निजी	कृषि	0.087	खाता संख्या-00009- अमृतलाल दत्तक पुत्र नन्दूराम नि0 ग्राम। खाता संख्या- 00316-मुरारी लाल, जयराम कुशवाहा, प्रदीप कुशवाहा पुत्रगण बनवारी लाल, किशोरी लाल पुत्र रामजग। खाता संख्या- 00295-रामसूरत पुत्र रामनाथ। (418)		
2	425	निजी	कृषि	0.005	खाता संख्या-00079- राजनरायण उर्फ राजू विश्वकर्मा पुत्र ह्दयनरायण। (425)		
	गांव का नाम: दुमदुमा						
3	47	निजी	कृषि /अकृषक	0.0105	खाता संख्या-00102- सूर्य प्रकाश, ओमप्रकाश, चन्द्र प्रकाश पुत्र पल्टूराम, राजकुमारी पत्नी पल्टूराम, रामसूरत,, पुत्र विश्वनाथ उर्फ बाबा। (47)		
4	48	निजी	कृषि/अकृषक	0.0162	खाता संख्या-00083-रामआसरे पुत्र बाबा उर्फ विश्वनाथ, अजीत सिंह पुत्र		

					बद्रीनरायन।
					(48)
5	49	निजी	अकृषक	0.041	खाता संख्या-000112-विष्णुदत्त पुत्र बालकरन नि0 बभनी, रामसूरत, लालता प्रसाद, रामआसरे पुत्रगण विश्वनाथ उर्फ बाबा नि0 पिरल्लीपुर, सूर्य प्रकाश, ओमप्रकाश, चन्द्र प्रकाश पुत्र पल्टूराम, राजकुमारी पत्नी पल्टूराम, रामा देवी पत्नी जयसराम नि0 खानजादीपुर, शारदा पत्नी सत्यनरायन। (49)
6	50	निजी	कृषि/अकृषक	0.024	खाता संख्या-00011-सविता कुमारी पुत्री लक्षिमन प्रसाद, प्रमिला देवी पत्नी अनन्तराम। (50)
7	52	निजी	कृषि/अकृषक	0.0096	खाता संख्या-00003-अम्मर उर्फ अमरनाथ पुत्र स्व0 रामिकशुन उर्फ किशुन, गीतारानी भारती पत्नी राजेश कुमार, दिनेश कुमार पुत्र अम्मर उर्फ अमरनाथ नि0 पिरल्लीपुर, अनीता सिंह पत्नी विशाल सिंह नि0 शिवपुर वाराणसी। (52)
8	53	निजी	कृषि/अकृषक	0.0132	खाता संख्या-00057-बसावन पुत्र श्रीराम, सन्तराम पुत्र मूसे, सुषमा देवी पत्नी बाबूराम सिंह, अनीता सिंह पत्नी विशाल सिंह नि0 शिवपुर वाराणसी। (53)
			कुल	0.2065	

[फा. सं. NHAI/11013/LA/Notif/2011/PIU-Varanasi/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2022

S.O. 5174(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Number S.O. 3627(E) dated 02 August, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956)

(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 7 on the stretch of land from Km 15.100 to Km 49.100 (Varanasi to Dagmagpur section) in the district of MIRZAPUR in the state of UTTAR PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Amar Ujala" and "The Times of India" both dated "23-08-2022"; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 15.100 to Km 49.100 (Varanasi-Dagmagpur section) on the National Highway No. 7 in the district of MIRZAPUR in the state of UTTAR PRADESH

State:	State: UTTAR PRADESH District: MIRZAPUR							
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.			
1	2	3	4	5	6			
	Taluk: Chunar							
	Village: Bishes	Village: Bishesarpur Mafi						
1	418	Private	Agriculture	0.087	Khata No. 00009- Amritlal Dutt S/o Nanduram R/o Local, Khata No. 00316- Murari lal, Jayram Kushwaha, Pradeep Kushwaha, S/o Banwari lal, Kishori Lal S/o Ram Jag. Khata No. 00295- Ransurat S/o Ramnath 418			
2	425	Private	Agriculture	0.005	Khata No. 00079- Rajanarayan Alias Raju Vishwakarma S/o Hridaynarayan, 425			
	Village: Dumduma							
3	47	Private	Agriculture/Non Agriculture	0.0105	Khata No.102- Suryaprakash, Omprakash, Chandraprakash S/o Palturam, Rajkumari W/o Palturam, Ram surat S/o Viswa nath alias baba.			
4	48	Private	Agriculture/Non- Agriculture	0.0162	Khata No. 00083- Ramashre S/o Baba alias Vishwanath, Ajit Singh S/o Badrinarayan.			
5	49	Private	Agriculture	0.041	Khata No. 112 Vishnu dutt s/o Balkaran R/o Bhabni, Ram surat, Lalta Prasad, Ram Asre S/o Vishwaath alias Baba R/o Piralipur, Suryaprakash, Omprakash,			

					Chandraprakash S/o Palturam, Rajkumari W/o Palturam, Ramadevi W/o Jaishram R/o Khanjadipur, Sharda W/o Satyanarayan.
6	50	Private	Agriculture/Non-Agriculture	0.024	Khata No. 00011-Savita kumari W/o Lakshmak prasad, Pramila devi W/o Anantram.
7	52	Private	Agriculture/Non-Agriculture	0.0096	Khata No. 00003- Ambar alias Amarnath S/o Late. Ramkisun Alias kisun, Gita Rani Bharti W/o Rajesh Kumar, Dinesh Kumar S/o Ambar Alias Amarnath R/o Pirallipur, Anita Singh W/o Vishal Singh R/o Shivpur Varanasi. 52
8	53	Private	Agriculture/Non-Agriculture	0.0132	Khata No. 00057- Basawan S/o Shriram, Sanatram S/o Musae, Sushma Devi W/o Baburam Singh, Anita Singh W/o Vishal Singh R/o Shivpur Varanasi. 53
			TOTAL	0.2065	

[F. No. NHAI/11013/LA/Notif/2011/PIU-Varanasi/3D]

RAJESH GUPTA, Director